RNI Regd. No. 7756/59

स्वतंत्र सोच, निष्पक्ष अभिव्यक्ति

66 वां वर्ष

दण्डकारण्य समाचार

जगदलपुर व रायपुर से एक साथ प्रकाशित

■ जगदलपुर, शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 ■ वर्ष 66 ■ अंक 86 ■ पृष्ठ 12 ■ मूल्य 2.00 ■ संस्थापक - स्व. श्री तुषार कांति बोस

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की विभिन्न प्रवेश एवं पात्रता परीक्षाओं की तिथियों में संशोधन

रायपुर, 18 अप्रैल (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए विभिन्न प्रवेश एवं पात्रता परिक्षाओं की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया गया है। लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित होने के कारण प्रवेश एवं पात्रता परीक्षाओं की पूर्व निर्धारित परीक्षा तिथियों में संशोधन किया गया है।

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी संशोधित तिथियों के अनुसार पी.ई.टी-2024, प्री.एम.सी.ए.-2024 एवं पी.पी.एच.टी.-2024 की परीक्षा 13 जून 2024 को होगी। पी.ए.टी/पी.व्ही.पी.टी., बीएससी (कृषि), बीएससी (उद्यानिकी), पशुपालन में डिप्लोमा और मत्स्यिकी विज्ञान में डिप्लोमा, प्री.बी.ए.बी.एड. और प्री बी.एससी बी.एड. की परीक्षा 16 जून 2024 को होगी। इसी प्रकार पी.पी.टी. 2024, टीईटी-2024 पात्रता परीक्षा 23 जून 2024 को, प्री.बी.एड.-2024 और प्री.डी.एल.एड.-2024 की परीक्षा 30 जून को तथा बी.एससी नर्सिंग-2024, पोस्ट बेसिक नर्सिंग-2024 एवं एम.एस.सी. नर्सिंग-2024 की परीक्षा 7 जुलाई 2024 को आयोजित की जाएगी।

हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी गुप्ता को दी राहत

बिलासपुर, 18 अप्रैल (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व पुलिस महानिदेशक मुकेश गुप्ता को राहत प्रदान करते हुए उनके खिलाफ की जा रही लोक आयोग की कार्रवाई पर गुरुवार को रोक लगा दी। आज का दिन छत्तीसगढ़ के डीजीपी (सेवानिवृत्त) मुकेश गुप्ता के लिए काफी राहत भरा रहा। उनके खिलाफ की जा रही लोक आयोग की कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी।

आम चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान आज

नयी दिल्ली 18 अप्रैल (एजेंसी)। आम चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में 102 संसदीय सीटों के लिए शुक्रवार सुबह सात बजे मतदान शुरू होगा। जिसके लिए चुनाव अधिकारी मतदान केन्द्रों पर पहुंचा दिये गये हैं। पहले चरण में लोक सभा के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा कुल 92 सीटों के लिए भी मतदान कराये जाएंगे।

चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं और उम्रदराज और दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। लोक सभा के पहले चरण के चुनाव में 16.63 करोड़ मतदाता केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल सहित कुल आठ केन्द्रीय मंत्रियों, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों और एक पूर्व राज्यपाल 1605 प्रत्याशी के चुनावी भविष्य का फैसला करेंगे।

आयोग की ओर से गुरुवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार मतदान कल सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान कराया जाएगा। आयोग के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर मतदान के समय अलग-अलग भी हो सकते हैं। इसके लिए सभी मतदान केन्द्रों पर चुनाव कराने वाली अधिकारियों की टीमें ईवीएम मशीनों के साथ पहुंचा दी गयी हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आम चुनाव-2024 के पहले चरण के मतदान दिवस की पूर्व संध्या पर देश के 97 करोड़ मतदाताओं के नाम संदेश में कहा, आप अपना वोट डालें और 'चुनाव का पर्व, देश का गर्व' के उत्सव में भाग लें।

निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सहभागिता के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तथा प्रलोभन मुक्त रखने और इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। आयोग इन चुनावों के लिए पिछले दो वर्षों से तैयारी कर रहा है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार और निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और श्री सुखबीर सिंह संधू ने चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप दिया।

पहले चरण में मताधिकार प्राप्त 16.63 करोड़ मतदाताओं में 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला तथा 11,371 उभयलिंगी मतदाता हैं। पहली बार मतदान करने वाले 35.67 लाख मतदाताओं ने वोट डालने के लिए पंजीकृत किया है। इसके अतिरिक्त 20-29 वर्ष आयु वर्ग के 3.51 करोड़ युवा मतदाता हैं। पहले चरण में भाग्य अजमाने के लिए 625 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे है, जिनमें से 1491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार हैं।

पहले चरण के संसदीय चुनाव में आठ केन्द्रीय मंत्रियों, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों और एक पूर्व राज्यपाल का चुनावी भविष्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज होना है।

स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण

नयी दिल्ली, 18 अप्रैल (एजेंसी)। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज, दीपुर से गुरूवार को स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज़ मिसाइल (आईटीसीएम) का सफल उड़ान परीक्षण किया।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार परीक्षण के दौरान मिसाइल की सभी उप-प्रणालियों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया । परीक्षण रेंज पर विभिन्न स्थानों पर तैनात रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री जैसे कई सेंसर द्वारा मिसाइल परीक्षण की निगरानी की गई थी। वायु सेना के सुखोई विमान से भी मिसाइल की उड़ान पर नजर रखी गई।

इस सफल उड़ान परीक्षण के माध्यम से गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान (जीटीआरई), बेंगलुरु द्वारा विकसित स्वदेशी प्रणोदन प्रणाली को भी कसौटी पर परखा गया। यह मिसाइल बेहतर और विश्वसनीय प्रदर्शन उन्नत एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर से भी लैस है। मिसाइल को अन्य प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योगों के योगदान के साथ बेंगलुरु स्थित डीआरडीओ प्रयोगशाला वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (एडीई) द्वारा विकसित किया गया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईटीसीएम के सफल उड़ान-परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई दी है और कहा है कि स्वदेशी प्रणोदन द्वारा संचालित लंबी दूरी की स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल विकास भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए एक मील का पत्थर है।

छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान

रायपुर 18 अप्रैल (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ वर्तमान सरकार ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त नौकरशाहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सरकार की पहल से आयकर विभाग (आईटी) व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी)-आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) भी एक्शन मोड में है। तीन बड़े घोटालों की जांच शुरू कर दी गयी है, इसमें 22 सौ करोड़ का शराब घोटाला, 600 करोड़ का कोल खनन परिवहन घोटाला और 6000 हजार करोड़ का महादेव ऐप घोटाला शामिल है। ईओडब्ल्यू और एसीबी में महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा ने 'यूनीवार्ता' को बताया कि कोई भी क्राइम सस्पेक्ट अगर वो लोकसेवक है तो उसके खिलाफ जांच करनी होती है तो उसके लिए वैधानिक कार्यवाही को अंजाम दिए जाने के लिए राज्य शासन से 17 (ए) की अनुमति आवश्यक होती है जो कि महादेव ऐप घोटाले में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भी जांच करने के लिए राज्य सरकार ने 17 (ए) की अनुमति जारी की है। इस अनुमति के बाद 2005 बैच के आईपीएस शेख आरिफ, 2001 बैच के आनंद छाबड़ा , 2004 बैच के अजय यादव और 2007 बैच के प्रशांत अग्रवाल के खिलाफ जांच किये जाने की अनुमति मिली है।

गौरतलब है कि इसके पूर्व दागी अफसरों की फेहरिस्त में शामिल विवेक ढांड , अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया एवम अन्य अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद अनुमति ले ली गयी है।

अनवर ढेबर व अरविंद सिंह 2 मई तक न्यायिक रिमांड पर तो एपी त्रिपाठी 25 अप्रैल तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर

रायपुर, 18 अप्रैल (एजेंसी)। बहुचर्चित तीन हजार करोड़ के आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तार आरोपियों की छह दिन की रिमांड खत्म होने के बाद गुरूवार को ईओडब्ल्यू की टीम ने अनवर ढेबर, अरविंद सिंह समेत अरुणपति त्रिपाठी को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। इसके पूर्व एसीबी ने तीनों से आमने सामने पूछताछ पूरी कर ली है। शराब घोटाले के मामले में ईडी की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू की दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी के 14 दिन बाद अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को जेल भेजने का आदेश हुआ है। मामले में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपी में से दो आरोपियों की न्यायिक रिमांड का ईओडब्ल्यू का आवेदन कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अनवर ढेबर और अरविंद सिंह 2 मई तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे। वहीं तीसरा आरोपी एपी त्रिपाठी 25 अप्रैल तक ईओडब्ल्यू की रिमांड में रहेगा।

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना जारी

नयी दिल्ली, 18 अप्रैल (एजेंसी)। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए गुरूवार को अधिसूचना जारी कर दी। इस चरण में नौ राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को मतदान होगा। अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। इस बीच, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का शुक्रवार को अंतिम दिन होगा। इस चरण में 7 मई को 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की 94 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। आयोग के अनुसार शुक्रवार को पहले चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गयी हैं। पहले चरण में 17 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान होगा।

निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चरण में 1,625 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण के लिए प्रचार अभियान बुधवार शाम को समाप्त हो गया। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, उत्तराखंड और तमिलनाडु के सभी संसदीय क्षेत्रों में चुनाव होगा। इसके साथ ही राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की आठ , मध्य प्रदेश की छह, असम और महाराष्ट्र की पांच-पांच , बिहार की चार , पश्चिम बंगाल की तीन , मणिपुर की दो और छत्तीसगढ़, त्रिपुरा तथा जम्मू-कश्मीर की एक-एक सीट पर भी मतदान होगा।

ईडी ने सोरेन के जमीन खरीद से जुड़े मामले में चार और को गिरफ्तार किया

नयी दिल्ली, 18 अप्रैल (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड में बरियातू जमीन सौदे से संबंधित एक धन शोधन के मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी (ईडी) ने छापे मार कर चार आरोपित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जमीन अधिग्रहण में कालीकमाई खपाने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कुछ एक अधिकारी जुड़े हैं।

ईडी की गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति में उसकी हाल की कार्रवाई में गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम प्रिय रंजन सहाय, इरशाद अख्तर, अंतु तिर्की और बिपिन सिंह बताए गए हैं। इसके अलावा असरफ अली नाम के एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है जिसे विशेष ईडी अदालत ने 22 अप्रैल तक हिरात में रखने की मंजूरी दी है। इससे पहले सद्दाम हुसैन नाम का एक और आरोपी भी 20 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में है। उल्लेखनीय है कि यह पूरा मामला पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा रांची के बरियातू में अधिग्रहित की गयी 8.8 एकड़ जमीन से जुड़ा है। इस मामले में श्री सोरेन के अलावा राजस्व विभाग के एक अधिकारी भानुप्रताप प्रसाद पहले से गिरफ्तार हैं और न्यायिक हिरासत में हैं।

इसी जमीन सौदे में अवैध कमाई के खपाने के मामले की जांच धन शोधन निवारक अधिनियम 2002 के तहत जांच कर रही है। भानुप्रताप प्रसाद जमीन के मूल सरकारी दस्तावेजों का रक्षक था। श्री सोरेन और प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने अपराध की कमाई को हासिल कर के उसको विभिन्न तरीकों से छुपाया।

आज का इतिहास

1910- हेली पुच्छल तारे को पहली बार सामान्य रूप से देखा गया।
1919- अमेरिका के लेस्ली इरविन ने पैराशूट से पहली बार छलांग लगाई।
1936- फिलिस्तीन में यहूदी विरोधी दंगे शुरू हुए।
1950- श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री बने।
1971- भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला जीती।
1972- बांग्लादेश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना।

बहुत खूब

बूथ कैप्चरिंग का दौर याद है: सुप्रीम कोर्ट की ईवीएम आलोचकों को नसीहत

इस तालाब की मछली खाते ही मर जाते हैं लोग! सभी मानते हैं श्रापित, मछलियों को दी जाती है समाधि

बिहार, 18 अप्रैल (एजेंसी)। भारत में ऐसी कई चीजें हैं, जो लोगों के बीच काफी समय से कौतुहल का विषय बना हुआ है. इन चीजों से जुड़ी कहानियां लोगों को हैरान कर देती है. किसी को इन कहानियों की असलियत नहीं पता लेकिन चूंकि ये बातें सदियों से चली आ रही हैं, इस कारण लोग इनपर यकीन कर लेते हैं. बिहार के गोपालगंज जिले में मौजूद एक तालाब भी इसी तरह की कहानी के कारण प्रचलित है.

इस तालाब को लोग श्रापित मानते हैं. इस कारण कोई भी इस तालाब का पानी नहीं पीता. इतना ही नहीं, इस तालाब में सैंकड़ों की संख्या में मछलियां रहती है. लेकिन इसके बाद भी कोई इन मछलियों को नहीं खाता. कहा जाता है कि ये मछलियां जिस किसी ने भी खाने की कोशिश की, उसकी मौत हो गई. इस कारण मछलियों से लबालब भरे इस तालाब से कोई भी मछली पकड़कर नहीं ले जाता.

तालाब के पास रहने वाले बाबा ने बताया कि ये तालाब श्रापित है. जो भी इसकी मछलियां खाएगा, उसकी मौत हो जाएगी. इतना ही नहीं, अगर कोई चुराकर इन मछलियों को ले जाता है तो उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है. बाबा ने आगे बताया कि जब भी इस तालाब की कोई मछली मरती है तो उसे समाधि दी जाती है. साथ ही ब्राह्मणों को बुलाकर खिलाया जाता है और दान-पुण्य किया जाता है.

चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए - सुप्रीम कोर्ट

♦ ईवीएम-वीवीपैट से संबंधित याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित

नयी दिल्ली, 18 अप्रैल (एजेंसी) उच्चतम न्यायालय ने ईवीएम-वीवीपैट से संबंधित याचिकाओं पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले सुनवाई के दौरान कहा कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह भी कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बारे में हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

पीठ ने चुनाव में ईवीएम को जरिए पड़े मतों के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल

(वीवीपैट) की पर्चियों की गिनती 100 फीसदी तक करने या फिर मतपत्रों से चुनाव कराने की पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग वाली याचिकाओं पर संबंधित पक्षों की दलीलें विस्तारपूर्वक सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।

शीर्ष अदालत ने गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य की ओर दायर जनहित याचिकाओं पर उप चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन, संजय हेगड़े, संतोष पॉल तथा अन्य की दलीलें सुनीं।

पीठ ने सुनवाई पूरी करने से ठीक पहले याचिकाकर्ताओं से कहा, हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता। हमने उन्हें (चुनाव आयोग को) सुना है। अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो कृपया सराहना करें। हर बार आपको हर चीज को लेकर आलोचनात्मक होने की जरूरत नहीं है। हमने आपको विस्तार से सुना। अगर किसी चीज में सुधार करना है तो क्या सब कुछ आपको या किसी और को समझाना होगा।

सीवर लाइन की सफाई करते दो लोगों की मौत

रायपुर, 18 अप्रैल (एजेंसी)। छत्तीसगढ की राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित अशोका बिरयानी रेस्टोरेंट के पास गुरुवार को गहरे सीवर लाइन की सफाई करते हुए दो लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सफाई करते समय सीवर से निकली जहरीली गैस से दम घुटने की वजह से दोनों मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मृतक अशोका? बिरयानी रेस्टोरेंट के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तेलीबांधा पुलिस के अनुसार अशोका बिरयानी के दो कर्मचारी कमलेश और डेविड गुरुवार की सुबह रेस्?टोरेंट के पास करीब 15 फीट गहरे सीवर लाइन की सफाई करने अंदर दाखिल हुए थे। सफाई करते समय सीवर से निकली जहरीली गैस से दम घुटने की वजह से दोनों कर्मचारियों की मौत हो गई।